

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के ज्ञापांक (कॉलम 6 में वर्णित) से छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत 02 छात्र/छात्रा को प्रति छात्र/छात्रा रू० 2,500/- (दो हजार पाँच रूपए) की दर रू० 5,000/- (पाँच हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार कामगारों/शिल्पकारों के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके पुत्र/पुत्री का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम	अध्ययनरत छात्र/छात्रा का कक्षा/ संस्थान	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता	पुत्र/पुत्री का बैंक एवं शाखा का नाम/खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी	छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	श्री रामबाबू राम, उम्र-43 वर्ष, पिता-रामशोभित राम, कोटि-अनुसूचित जाति वर्ग, कार्य की प्रकृति-पशुपालन	अर्चना कुमारी	उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़का बसंत उत्तरी, कक्षा-11 वीं सत्र-2025-27	328, 10.03.2026	ग्राम-नया टोल, पंचायत-खड़का बसंत उत्तरी पोस्ट-नया टोल, थाना+प्रखण्ड- बोखड़ा, सीतामढ़ी मो0-7352270541	इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, खाता संख्या- 007610839102, IFSC- IPOS0000001	रू० 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रूपए)
02	सरीता देवी, उम्र-39 वर्ष, पति-श्री शंभू राम, कोटि-अनुसूचित जाति वर्ग, कार्य की प्रकृति-पशुपालन	आनन्द कुमार राम	श्राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, खड़का, बोखड़ा, सीतामढ़ी। कक्षा-11 वीं सत्र-2025-2027	तदैव	ग्राम-नया टोल, पंचायत-खड़का बसंत उत्तरी पोस्ट-नया टोल, थाना+प्रखण्ड- बोखड़ा, सीतामढ़ी, मो0-8873559901	इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, खाता संख्या- 007610134532, IFSC- IPOS0000001	रू० 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रूपए)

रू० 5,000/-

(पाँच हजार रूपए) मात्र

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 09) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 03 में अंकित पुत्र/पुत्री के बैंक खाते कॉलम 08 में किया जाएगा।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

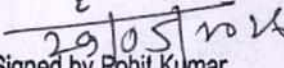
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-96/2025-677

पटना, दिनांक :- ०९/०६/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 5,000/- (पाँच हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त,

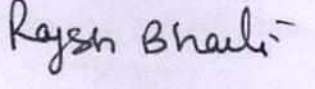
मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


Signed by Rohit Kumar

Date: 29-05-2026 13:10:26

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी


Rajesh Bharti

(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक